MOST IMMEDIATE

F.No.9-13/2010-IGMSY
Government of India
Ministry of Women and Child Development
...

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 26.05.2011

To

The Principal Secretaries/Secretaries/Administrators dealing with ICDS (Women and Child Development Department) (all States/UTs)

Subject: Information Pamphlet of Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY) – a Conditional Maternity Benefit (CMB) Scheme.

Madam/Sir,

This is in continuation to this Ministry's letter of even number dated 21.04.2010 whereby a one-page A-4 size (three fold) information pamphlet of "Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY) in English was shared with States/UTs to spread awareness about the Scheme among intended beneficiaries, services providers and the community.

Enclosed herwith is Hindi version of this pamphlet. The pamphlet is also available on the website of this Ministry (www.wcd.nic.in). It may be translated in local language(s) and widely circulated among intended beneficiaries and service providers.

Yours Sincerely,

(Lopamudra Mohanty)
Deputy Secretary
Tele-Fax : 011-23074215
lopamudramohanty@hotmail.com

Enclosure: Information Pamphlet in Hindi (1 page)

योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आपको चाहिये...

अपने गर्भवती होने की जानकारी के बाद जितनी जल्दी हो सके आंगनवाड़ी केंद्र पर अपना पंजीकरण कराएं।

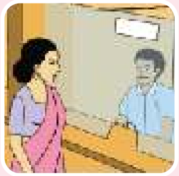

बैंक या डाकघर में खाता खोलें ताकि इस खाते में राशि जमा की जा सके।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अथवा ए.एन.एम. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की मांग करे।

यह सुनिश्चित करें कि आपको दी गई सेवाओं एवं सलाह को एम.सी.पी. कार्ड में दर्ज कर दिया गया है।

आप योजना के अंतर्गत लाभ की पात्र हैं यदि आप निम्न चार शर्तों को पूरा करती हों...

- आप गर्भवती हैं।
- आप 19 वर्ष से कम आयु की नहीं हैं।
- यह आपका पहला या दूसरा जीवित प्रसव हैं।
- आप या आपके पति सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यु.) में काम नहीं करते हैं।

और अधिक जानकारी के लिए अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या ए. एन. एम. से संपर्क करें।

शिकायत के लिए .... से .... पर संपर्क करें।
(शिकायत निवारण अधिकारी का नाम) (टेलीफोन नं.)

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए सूचना पैम्फलेट

नए समाज की ओर

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

पहली किस्त
राशि : ₹ 1500

आप गर्भावस्था के 6 महीने पूरे होने पर इस राशि की हकदार हैं, यदि आप निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं :

☐ गर्भधारण के 4 माह के भीतर आंगनवाड़ी केंद्र या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत पैनल में शामिल प्राइवेट डाक्टर के पास पंजीकरण कराती हैं ।

☐ कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच कराती हैं ।*

☐ आयरन एवं फॉलिक एसिड की गोलियां प्राप्त करती हैं ।*

☐ कम से कम एक टी.टी. का टीका लगवाती हैं ।*

☐ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या ए.एन.एम. से आंगनवाड़ी केंद्र या ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर या घर पर कम से कम एक बार सलाह लेती हैं ।

* स्वास्थ्य केंद्र अथवा आंगनवाड़ी केंद्र पर

दूसरी किस्त
राशि : ₹ 1500

आप प्रसव के 3 महीने बाद यह राशि पाने की हकदार हैं यदि आप अपने ब्च्चें के लिए निम्नलिखित कार्य करती हैं :

☐ आंगनवाड़ी केंद्र पर उसके जन्म का पंजीकरण कराती हैं ।

☐ पोलियो की खुराक पिलवाती हैं एवं बी.सी.जी. का टीका लगवाती हैं ।*

☐ पोलियो की खुराक पिलवाती हैं एवं डी.पी.टी. का पहला टीका लगवाती हैं ।*

☐ पोलियो की खुराक पिलवाती हैं एवं डी.पी.टी. का दूसरा टीका लगवाती हैं ।*

☐ जन्म से 3 माह की आयु के बीच बच्चे का कम से कम 2 बार वज़न करवाती हैं ।*

☐ प्रसव के बाद आंगनवाड़ी केंद्र या घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या ए.एन.एम द्वारा शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार पर कम से कम 2 बार सलाह लेती हैं ।

* स्वास्थ्य केंद्र अथवा आंगनवाड़ी केंद्र पर

तीसरी किस्त
राशि : ₹ 1000

आप प्रसव के 6 माह बाद इस राशि की हकदार हैं यदि आप अपने ब्च्चें के लिए निम्नलिखित कार्य करती हैं :

☐ पहले 6 माह तक बच्चे को केवल स्तनपान कराती हैं, यहां तक की पानी भी नहीं पिलाती हैं ।*

☐ 6 माह पूरे होने के बाद ऊपरी आहार की शुरुआत करती हैं । (अन्नप्रासन)*

☐ पोलियो की खुराक पिलवाती हैं एवं डी.पी.टी. का तीसरा टीका लगवाती हैं ।**

☐ 3 से 6 माह की आयु के बीच बच्चे का कम से कम 2 बार वज़न करवाती हैं ।**

☐ 3 माह से 6 माह के बीच आंगनवाड़ी केंद्र या घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या ए.एन.एम से शिशु एवं छोटे बच्चों के आहारों के बारे में कम से कम 2 बार सलाह लेती हैं ।

* आपके द्वारा स्वप्रमाणित- किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं ।
** स्वास्थ्य केंद्र अथवा आंगनवाड़ी केंद्र पर